UPHM010007342026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।

पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code– UP06459

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–369/2026

मोहित उम्र 22 वर्ष पुत्र देवनारायन पाठक, निवासी ग्राम बिलगांव, थाना जलालपुर, जिला हमीरपुर उ०प्र०। **.....प्रार्थी/अभियुक्त ।**

बनाम

राज्य सरकार

.....अभियोजक ।

मु०अ०सं०-113/2025
धारा-115(2),352,351(3) बी०एन०एस०
व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट,
थाना- जलालपुर, जिला-हमीरपुर

11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **मोहित** उपरोक्त की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना, मु०अ०सं०–113/2025, धारा-115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट, थाना– जलालपुर, जिला–हमीरपुर के प्रकरण में दिया गया है। उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वेच्छया से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा मानकुंवर पत्नी प्रकाश उर्फ राम प्रकाश ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर की निवासिनी है। घटना दिनांक 15.07.2025 को समय करीब 09 बजे दिन में वह झाऊलाल महाराज जी के घर से खपरेल लेकर अपने घर आ रही थी। तब बीच रास्ते में देवनारायन पुत्र रामस्वरुप व मोहित पुत्र देवनारायन व देवनारायन की पत्नी व एक व्यक्ति अज्ञात उपरोक्त सभी लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुये कहा कि साली मादरचोद चमरिया तेरी इतनी हिम्मत की हमारे दरवाजे से चप्पल पहनकर निकलती है। उसने कहा कि यह रास्ता सभी का है। सब कोई निकलता है। इतना कहा कि उक्त सभी लोग एक राय होकर उसको जमीन में गिराकर बुरी तरह लात घूसों व लाठी डंडा से मारा पीटा, उसने चिल्लाया तो शोर सुनकर उसकी लड़की प्रीति व तमन्न व बहू ब्रजकुमारी आ गयी तो उपरोक्त लोगों ने उसकी लड़कियों व बहू को बुरी बुरी जाति सूचक गाली दी और कह रहे थे कि साली चमरिया गांव में रहना है तो उनके दरवाजे से नहीं निकलना और देवनारायन अपने पुत्र को कह रहा था कि बन्दूक निकालकर ला भोसड़ी वाली को गोली मार दो उक्त घटना के समय गांव के तमाम लोग आ गये तथा कह रहे थे कि गांव में न रहने देने व जान से मारने की धमकी दी है। उसको कई अन्दरुनी चोटें भी आयी है। वह जाति की चमार है तथा मुल्जिमान पंडित बिरादरी के हैं। उक्त देवनारायन आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उपरोक्त आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह पूर्णतयः निर्दोष है गांवदारी के कारण झूंठा व रंजिशन फंसा दिया गया है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी कृत्य नहीं किया है। उसने कोई भी मारपीट, गाली गलौज नहीं किया है न ही जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया है। वह बहुत ही गरीब हैं तथा मजदूरी करके अपने मां पिता का पालन करता है। वह घर का अकेला बालिग सदस्य है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कही भी किसी न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है, न ही खारिज हुआ है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.03.13 10:35:53 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जाने की प्रार्थना की गयी है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादिनी को नोटिस तामील है, किन्तु वादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया ।

मैंने प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया ।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त मोहित पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 15.07.2025 को समय करीब 09:00 बजे सुबह, स्थान बहद ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर, जिला हमीरपुर में अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा मानकुंवर के साथ मारपीट करने तथा गाली–गलौज करते हुए जातिसूचक शब्द से अपमानित करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने स्वेच्छया से आत्मसमर्पण किया है। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की **एस.एल.पी.(क्रि) नं0- 5191/ 2021 सतेन्द्र कुमार अंतिल प्रति सी.बी.आई.** के अनुक्रम में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर था। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है ।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **मोहित** की ओर से, मु०अ०सं०–113/2025, धारा–115(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3(1)द/ध, 3(2)va एससी/एसटी एक्ट, थाना–जलालपुर, जिला–हमीरपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 20,000/– (बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाये ।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त आरोप विरचन तथा बयान अभियुक्त के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
5. यदि अभियुक्त जमानत के शर्तों का उल्लंघन करता है तो अभियोजन अभियुक्त की जमानत निरस्त किए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

दिनांक 11.03.2026

(रनवीर सिंह),
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट),
हमीरपुर ।
(आई.डी. UP06459)